### Implementation of Central Rural Development Scheme in Haryana

2022. SHRI CHIRANJI LAL SHARMA: Will the Minister of RURAL RECONSTRUCTION be pleased to state:

(a) the details of the Central Rural Development Schemes being implemented in Haryana; and

(b) the total amount to be spent for these schemes during 1981-82?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SHRI BALESHWAR RAM): (a) and (b). Centrally sponsored rural development schemes being implemented in Haryana during 1981-82 and the total amount provided for these schemes in the Central sector are as under:

| Scheme/Programme | Amount provided for in the Central sector (1981-82) |
|---|---|
| | (Rs. in lakhs) |
| (i) Integrated Rural Development programme | 261.00 |
| (ii) Drought Prone Areas Programme | 97.50 |
| (iii) Desert Development Programme | 195.00 |
| (iv) National Rural Employment Programme: | |
| (a) Cash | 80.00 |
| (b) Foodgrains | 1250 MTs |

### Vacant posts in Food Corporation of India

2023. SHRI NIREN GHOSH: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 900 posts are lying vacant in the F.C.I.'s eastern region;

(b) if so, from when; and

(c) the steps taken by Government to fill the vacant posts?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (KUMARI KAMLA KUMARI): (a) There is no region called Eastern Region of the Food Corporation of India. However, in East Zone which is one of the administrative Zones of the Corporation, there were 3,642 vacancies as on 31-3-1981 against a total number of 21,921 posts.

(b) These vacancies occurred in different offices in the Zone at different points of time.

(c) As the posts are under the Food Corporation of India which is a statutory body, the vacancies are filled up by the Corporation keeping in view the quantum of work, the need for economy, etc.

### ग्रामीण तकनीक विकास परिषद् का गठन

2024. श्री बापुन सुम्बलई : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण पुनर्निर्माण को बढ़ाने के लिये ग्रामीण तकनीकी विकास परिषद का गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो परिषद् के सदस्य कौन-कौन हैं ;

(ग) छठी योजना में इस परिषद के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है ; और

(घ) परिषद् के कार्य क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) सरकार ग्रामीण प्रौद्योगिकी के विकास हेतु परिषद् गठित करने के लिये कार्यवाही कर रही है ।

(ख) परिषद अभी गठन की अवस्था में है और इसके गठन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ग) छठी योजना अवधि के लिये इस परिषद् हेतु अंतिम रूप से 90 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है ।

(घ) परिषद् द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्य विवरण में दिये गये हैं ।

**विवरण**

ग्रामीण प्रौद्योगिकी के विकास हेतु परिषद् के कार्य

(1) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा इसके सहयोगी निकायों के अन्तर्गत लिये गये क्षेत्रों के अलावा, अन्य सभी क्षेत्रों के लिये विकास के समस्त प्रयासों के समन्वय तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी के संवितरण हेतु राष्ट्रीय नाडल केन्द्र के रूप में कार्य करता है ।

(2) ग्रामीण लोगों द्वारा अनुभव की गई विशिष्ट समस्याओं का पता लगाकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिये उपयुक्त प्रौद्योगिकी के विकास हेतु उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना तथा विभिन्न संगठनों द्वारा अनुसंधान तथा विकास प्रयासों के लिये निधियां जुटाना ;

(3) अनुसंधान की वर्तमान संस्थाओं को सुदृढ़ करना अथवा संस्थाओं को विकसित या स्थापित करना ताकि उन मामलों जो पूर्णत: अथवा अधिकांशत: ग्रामीण हित के हैं, से संबंधित राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं को गठित करना ;

(4) सूचना गृह तथा आंकड़े उपलब्ध करने वाले बैंक के रूप में कार्य करना ;

(5) मशीनें, औजारों, उपकरण तथा अतिरिक्त पूंजी के विनिर्माताओं को ग्रामीण प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी देना ताकि निजी, सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में तकनीकी रूप से सुधरी मशीनरी आदि का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सके;

(6) सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तथा जनता के सदस्यों के लिये उपयुक्त प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण हेतु चैनल के रूप में कार्य करना ;

(7) प्रशिक्षकों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित अथवा प्रायोजित करना ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में लाभभोगियों तक सुधरी प्रौद्योगिकी पहुंचाई जा सके;

(8) उपयुक्त प्रौद्योगिकी के प्रयोग के बारे में अनुसंधान अध्ययन, सर्वेक्षण तथा मूल्यांकन करना ।

**गंगा नदी के जल से फरक्का बांध में हुआ कटाव**

2025. श्री राम सिंह शाक्य : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री ने केन्द्रीय सरकार से फरक्का बांध क्षेत्र में गंगा नदी के पानी से हुये कटाव को रोकने के लिये अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिया-उर-रहमान अंसारी) : (क) जी, हां ।

(ख) फरक्का बराज कम्पलैक्स की सुरक्षा के लिये अपेक्षित सनी वर्क्स का काम परियोजना प्राधिकारियों द्वारा हाथ में लिया गया है । नदी के अन्य भागों में